

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 12-6-2025

विषय:- जनजातीय क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 13 आँगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु रु० 10.00 लाख प्रति आँगनवाड़ी केन्द्र की दर से उपलब्ध करायी गई राशि रु० 1.30 करोड़ (एक करोड़ तीस लाख) के अतिरिक्त रु० 2.00 लाख प्रति आँगनवाड़ी केन्द्र की दर से कुल- 13 आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए कुल रु० 26.00 लाख (छबीस लाख) मात्र का व्यय राज्य योजना मद से किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अन्तर्गत प्रदान की जा रही आँगनवाड़ी सेवाओं का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषक क्षेत्र के सभी योग्य लाभुकों यथा 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा कुपोषण से बचाव करना है।

2. संविधान की धारा 275 (1) के तहत अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। जिसके तहत जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु कार्य किया जाता है। इस क्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल-13 आँगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण (यथा- कटिहार जिला में 10, मुंगेर जिला में 02 एवं भागलपुर जिला में 01) हेतु रु० 10.00 लाख प्रति आँगनवाड़ी केन्द्र की दर से रु० 1.30 करोड़ (एक करोड़ तीस लाख) राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है।

3. उक्त के आलोक में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा स्वीकृत्यादेश सं०- 213 दिनांक-10.02.2023 के माध्यम से आँगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए जिलों/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध करायी गई है।

4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-11/4/2021-CD-I (e-95706) दिनांक- 01.08.2022 के द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के लिए मॉडल प्राक्कलन की लागत रु० 12.00 लाख प्रति केन्द्र निर्धारित होने के कारण जिलों द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु प्रति आँगनवाड़ी केन्द्र रु० 10.00 लाख की दर को अपर्याप्त बताते हुए मार्गदर्शन की माँग की गयी है।

5. अतएव सम्यक विचारोपरांत आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण तरीके से लाभुकों को उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार से रु० 10.00 लाख प्रति आँगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु प्राप्त राशि के अतिरिक्त रु० 2.00 लाख प्रति आँगनवाड़ी केन्द्र भवन की दर से अर्थात (13 x 2 लाख) कुल- रु० 26.00 लाख राज्य योजना मद से व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. इस मद में व्यय हेतु स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष -4235-समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 02- समाज कल्याण, 102-बाल कल्याण, 0109- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई०सी०डी०एस०) के अन्तर्गत माँग संख्या-51, विपत्र कोड-51-4235021020109, विषय शीर्ष-53.01, मुख्य निर्माण कार्य" के तहत उपलब्ध राशि से की जायेगी।
8. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों एवं बिहार पी०डब्लू०डी० संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
10. प्रस्ताव पर दिनांक 28.04.2025 एवं दिनांक-05.06.2025 (शुद्धि पत्र) को विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
11. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या- ICDS/40015/05-2021 के टिप्पणी पृष्ठ- 99/टि० पर दिनांक-09.05.2025 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं०- ICDS/40015/05-2021 के टिप्पणी पृ०- संख्या- 110/टि० पर दिनांक- 10.06.2025 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।
13. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355/वि० दिनांक- 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

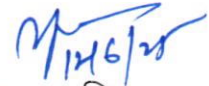


(योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव।

जापांक :- ICDS/40015/05-2021.....१० दिनांक 12.6.2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/ अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग/ संयुक्त सचिव, वित्त विभाग/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/ विशेष कार्य पदाधिकारी, योजना एवं बजट शाखा, समाज कल्याण विभाग/ बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

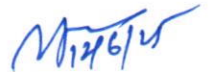


संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक :- ICDS/40015/05-2021.....१० दिनांक 12.6.2025

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/ मुंगेर/ भागलपुर/ जिला पदाधिकारी, कटिहार/ मुंगेर/ भागलपुर/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार/ मुंगेर/ भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

✓

ज्ञापांक :- ICDS/40015/05-2021.....१० दिनांक 12.6.2025

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

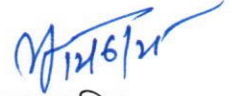


संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- ICDS/40015/05-2021.....१० दिनांक 12.6.2025

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

